दिनाक 01.02.2021
प्रेस विज्ञप्ति–01/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना खेकडा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 01.02.2021 को थाना खेकडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान घिटौरा रोड तिगरी मोड़ नहर पटरी से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रवेश उर्फ भालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से, 01 अवैध पिस्टल, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत के थाना खेकडा पर डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खेकडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–480/2020 धारा 307 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

प्रवेश उर्फ भालू निवासी घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी–:

01 अवैध पिस्टल 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस

जनपद बुलन्दशहर/थाना अहार

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट के 01 हजार रूपये नगद,**
- **01 अवैध तमंचा 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 31.01.2021 की रात्रि थाना अहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान भगवन्तपुर झाल के पास से 25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 01 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना अनूपशहर व थाना अहार पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अनूपशहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—633/2020 धारा 392/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

दिनेश निवासी भगवन्तपुर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी—:

1—लूट 01 हजार रूपये नगद,

2—01 अवैध तमंचा 02 जीवित कारतूस

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता गिरफ्तार**

दिनांक 31.01.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम धौर जनपद झज्जर, हरियाणा से पुरस्कार घोषित अभियुक्ता डॉ0 प्रीती को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 18.01.2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से अपहरण की घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0—50/2021 धारा 364ए/34/120 बी भादवि पंजीकृत कर अपहृत की सकुशल बरामदगी पूर्व में की जा चुकी है। गिरफ्तार अभियुक्ता मुकदमा उपरोक्त में वॉछित चल रही थी, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता —:

डॉ0 प्रीती निवासी 28 प्रेमनगर खरा नं0—169 पपरावत नजफगढ़ द0प0 दिल्ली, मूलपता—ग्राम धौर थाना दुजाना जनपद झज्जर, हरियाणा ।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **अवैध शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 447 पेटी अवैध शराब,**
- **एक 10 टायरा ट्रक बरामद**

दिनांक 01.02.2021 को गुलावठी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम मिठ्ठेपुर हाईवे पर घेराबन्दी कर 02 अभियुक्त 1— चुन्नू 2—गनेशीराम को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 447 पेटी अवैध शराब, एक 10 टायरा ट्रक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>

1–चुन्नू निवासी हत्था कतियाननगर थाना पीहर जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार।

2–गनेशीराम निवासी हत्था डिटोला थाना पीहर जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार ।

<u>बरामदगी :–</u>

1–लगभग 25 लाख रूपये कीमत की 447 पेटी अवैध शराब,

2– एक 10 टायरा ट्रक

<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज</u>

- **अवैध शराब की तस्करी करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 122 पेटी अवैध शराब,**
- **04 कैन,**
- **01 कैन्टर ,**
- **01 ट्रैक्टर मय ट्राली**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 31.01.2021 को थाना सिरसागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करहल रोड हाईवे के नीचे 08 अभियुक्तों 1–विवेक 2–पर्वित 3–गौरव 4–चन्दन 5–जितेन्द्र, 6–प्रवीन 7–कासिम 8–बिशाल को गिरफ्तार किया गया । गिर्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 122 पेटी अवैध शराब, 04 कैन, 01 कैन्टर, 01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—विवेक निवासी चितावली थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
2—पर्वित निवासी रोहना थाना खरखौंदा जनपद सोनीपत, हरियाणा
3—गौरव निवासी निकट चाचा चौक, थाना सारन फिरीदाबाद हरियाणा।
4—चन्दन निवासी दुर्गा बिहार थाना नेवसराय , दक्षिण दिल्ली।
5—जितेन्द्र निवासी खरखौंदा थाना खरखौदा जनपद सोनीपत, हरियाणा।
6—प्रवीन निवासी—मोहकमपुर थाना जैथरा जनपद एटा।
7—कासिम निवासी बोझिया थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
8—बिशाल निवासी बोझिया थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी :—

1—लगभग 20 लाख रूपये कीमत की 122 पेटी अवैध शराब,
2—04 कैन,
3—01 कैन्टर,
4—01 ट्रैक्टर मय ट्राली,
2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस

जनपद सम्भल/थाना हयातनगर

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 01.02.2021 को थाना हयातनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बबैना बस अड्डा सम्भल बहजोई रोड से 02 अभियुक्तों 1—शहजाद (एच0एस0)2—अन्जला को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी 05 मोटरसाइकिले बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल व अमरोहा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, एन0डी0पी0एस0एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हयातनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—शहजाद निवासी मोहल्ला भूडा सरायतरीन, थाना हयातनगर जनपद सम्भल।
2—अन्जला निवासी मो0 बरखेरियान सरायतरीन थाना हयातनगर जनपदसम्भल।

बरामदगी:—

05 मोटर साइकिल ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे विशेष अभियान **मिशन शक्ति** के अन्तर्गत प्रदेश में एन्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा दिनॉक 01.01.2021 से 31.01. 2021 तक कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :—

1	चेक किये गये सार्वजनिक स्थलों जैसे— चौराहों, मार्केट, पार्क, विद्यालय आदि की संख्या	1,69,889
2	चेक किये गये कुल व्यक्तियों की संख्या	6,35,815
3	धारा 107/116 द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही संख्या	12,928
4	धारा 151द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही की संख्या	7,641
5	धारा 294 भादवि में पंजीकृत अभियोगों की संख्या	266
6	गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	398
7	110 जी द0प्र0सं0 में की गयी कार्यवाही की संख्या	1,843

साइबर काइम–इन्श्योरेन्स कम्पनी के अधिकारी बन इन्श्योरेन्स पोलिसी के नाम पर करोड़ो की ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण –

श्री ललित पाठक पुत्र श्री छितरमल नि0 कदम्ब बिहार रांची बागर थाना रिफाईनरी जनपद मथुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिमा अधिकारी बन कॉल कर एक पुरानी इन्सयोरेन्स पौलिसी लैप्स होने पर पौलिसी का 12,47,392 रूपये DD के माध्यम से दिलवाने की बात कही,जबकी मेरी LIC पोलिसी मे मेरा नाम ललित पाठक नही ललित किशोर है। लैप्स पौलिसी का रू12,47,392 दिलवाने के बदले मे रू 43000 की ठगी करने के प्रयास के संबंध मे परिक्षेत्रीय थाना साइबर क्राइम आगरा पर दिया ।

उक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अपर महानिदेक साइबर श्री राम कुमार द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक साइबर श्री प्रो0 त्रिवेणी सिंह के पर्यवेक्षण मे साइबर क्राइम थाना आगरा परिक्षेत्र प्रभारी श्री राजेश कुमार शर्मा को अपराध के शीघ्र एव सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया ।

परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना द्वारा घटना से संबंधित सभी तकनीकी पक्षो एव उपलब्ध विवरणो के आधार एक गैंग का अनावरण किया गया, जिसमे तीन लोग सम्मिलित है । इस गैंग के अपराधियो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है एव उनके कब्जे से साइबर अपराध मे प्रयुक्त बडी मात्रा मे तकनीकी एव अभिलेखीय संसाधन बरामद किये गये है।

गिरफ्तारी अभियुक्तगण –

थाना साइबर क्राइम ,आगरा परिक्षेत्र द्वारा उपरोक्त घटना करने वाले निम्न अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गयी एवं अपराध मे प्रयुक्त मोबाइल फोन,सिम व दस्तावेज बरामद किये गये है ।

1. सुमित कश्यप पुत्र पूरन लाल कश्यप नि0 ग्राम देवला ,सूरजपुर,ग्रेटर नोएडा ,उत्तर प्रदेश उम्र–30 वर्ष
2. रमेश प्रसाद गिरी पुत्र रूद्र नारायण प्रसाद नि0 ग्राम हलोरा,पोस्ट शौहरतगढ़,सिद्धार्थनगर,उत्तर प्रदेश उम्र–35 वर्ष
3. मौ0 आकिब पुत्र इबने हसन नि0 हिन्दूपुरा खैडा,दिपू सराय,सम्भल उत्तर प्रदेश उम्र– 28 वर्ष

विवरण बरामदगी –

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से बरामदगी का विवरण इस प्रकार है–

1. 06 अदद मोबाइल फोन
3. 07 अदद सिम कार्ड
4. 02 अदद एटीएम कार्ड
5. 01 अदद पैन कार्ड
6. 02 अदद आधार कार्ड
7. 02 अदद मैट्रो कार्ड
8. 04 अदद पहचान पत्र
9. 02 अदद आर.सी
10. अपराध मे प्रयुक्त 5 खातो का विवरण जिन्मे पैसा मंगाया जाता था,पीडितो के खातो का विवरण,मोबाइल मे उन व्यक्तियो का डाटा एक्सल फाइल के रूप मे जिन्हे टारगेट बनाया जाता था ।

अपराध का तरीका –

अभियुक्तो से पूछताछ मे ज्ञात हुआ कि इस गैंग के तीनो सदस्य पूर्व मे IIFL नाम की कम्पनी मे काम करते थे IIFL कम्पनी इस्योरेन्स पोलिसी और शैयर ट्रेडिग मे काम करती थी, वही से अभियुक्तो को इस्योरेन्स पोलिसी के नाम से ठगी करने का विचार आया। अभियुक्तो ने कम्पनी मे मौजूद डेटा को चोरी कर लिया जिसमे उन व्यक्तियो का पूर्ण विवरण मौजूद होता था जो इस्योरेन्स पोलिसी या शैयर्स ले चुके होते है तथा उन

व्यक्तियो का डैटा जो इन्सयोरेन्स लेने के इच्छुक थे । अभियुक्तगणो ने कम्पनी बन्द हो जाने के बाद चुराये हुए डैटा का इस्तेमाल कर लोगो को इन्सयोरेन्स कम्पनी का अधिकारी बन सम्पर्क किया और लोगो को विभिन्न प्रकार का प्रलोभल जैसे दोगूना– तिगूना रिटर्न ,आसान EMI,रिवार्ड पोइन्टस अथवा विभिन्न प्रकार का भय जैसे पोलिसी लैप्स, पैसे मे कटौती का डर दिखा कर मोटी रकम RIGF Services नाम से फर्जी खुलाये अकाउट मे या अन्य फर्जी अकाउंटो मे हस्तांतरित कर धोखाधडी कर लेते है, रकम हस्तांतरण के लिये अभियुक्तगण मुख्य रूप से रकम चौक द्वारा लेते है ,चौक के बदले पीडितो को फर्जी पोलिसी बोन्ड/DD दिखाते है । प्राप्त रकम को अन्य बैंक खातो मे ट्रांसफर कर एटीएम से निकाल लिया करते है,पीडित व्यक्तियो से पोलिसी के नाम पर लिये दस्तावेजो का प्रयोग फर्जी अकाउट खुलवाने ,मोबाइल सिम लेने व अन्य साइबर अपराध हेतु करते है। कॉल के दौरान अपना नाम जितेन्द्र माथुर ,विनोद बंसल,सिद्धार्थ मिश्रा, मुकेश माथुर ,अनुराग त्रिपाठी ,राजीव कुमार आदि बताते है।अभियुक्तो द्वारा अब तक सेकडो लोगो को इसी प्रकार ठग कर करीब 2–3 करोड की घनराशि विभिन्न खातो मे हस्तांतरित करा कर प्राप्त की है जिसके संबंध मे जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगणो द्वारा मुख्य रूप से निम्म फर्जी अकाउटो मे पैसा लिया जाता था, –

1- IDFC Bank Account - 10006457434 (RIFG Services)
2- Union Bank Account- 554902010008000,
3- Union Bank Account- 554902010008200,
4- Union Bank Account- 554902010008196
5- ICICI bank Account - 031301510791

उक्त खातो मे घनराशि आने के बाद ,उन्हे अपने व अपने रिश्तेदारो के पर्सनल अकाउट मे हस्तांतरित किया जाता था,अभी तक की जाचँ मे निम्न खातो मे ठगी से प्राप्त करीब 12 लाख की धनराशि फ्रिज करायी गयी है ।

1- Kotak Mahindra Bank-1211664197	-Rs- 3,22,000
2- ICICI Bank 002901565638	-Rs- 34,483
3- Yes Bank XXXXXXX0531	-Rs- 44,000
4- Axis bank 919010044289102	-Rs- 3,25,136
5- IDFC First Bank 10010402104	-Rs- 1,59,718
6- HDFC Bank XXXXXXX9610	-Rs- 2,91,728

उक्त सम्बंध मे थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0स0 01/21 धारा 406/420/467/468/471/120 बी भादवि व 43/66C/66 आईटी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

———